भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 376
19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: फसल नुकसान के लिए मुआवजे के संवितरण में अनियमितताएं
***376. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः**
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने जालना के किसानों सहित 13 लाख किसानों, जिनकी फसलें ओलावृष्टि और बाढ़ से नष्ट हो गई थीं, के लिए वर्ष 2023-24 में आवंटित 1,500 करोड़ रुपये के संवितरण के संबंध में शिकायतों का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या प्रारंभिक जांच से यह पता चला है कि ब्लॉक अधिकारियों द्वारा एक ही व्यक्ति को कई बार भुगतान करने का संदेह था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे की समीक्षा करने के लिए कोई जांच शुरू की है, यदि हां, तो जांच के निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार ने इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्रवाई शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"फसल नुकसान के लिए मुआवजे के संवितरण में अनियमितताएं" के संबंध में दिनांक 19 अगस्त, 2025 को लोकसभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 376 के भाग (क) से (ङ) के संदर्भ में विवरण।

(क): महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान जालना जिले में भारी वर्षा, बाढ़ और ओलावृष्टि से प्रभावित हुए किसानों को इनपुट सब्सिडी/सहायता के रूप में 580.90 करोड़ रुपये की राशि (6.22 लाख लाभार्थियों के लिए) स्वीकृत की गई थी। स्वीकृत राशि में से 5.15 लाख लाभार्थियों को 537.81 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।

(ख): जालना कलेक्टर द्वारा तीन सदस्यीय जाँच समिति गठित की गई थी। जालना जिले के दो तालुकाओं की जाँच करने के बाद, समिति ने कलेक्टर को प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे जानकारी मिली कि तहसीलदार के लॉगिन क्रेडेंशियल का दुरुपयोग किया गया था।

(ग): महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा छत्रपति संभाजीनगर डिविजन के डिविजनल कमीश्नर को जालना जिले में सभी शिकायतों की जांच करने का निर्देश दिया गया है।

(घ) एवं (ङ): डिप्टी कलेक्टर (ईजीएस) की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति द्वारा कलेक्टर को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर, 21 ग्राम राजस्व अधिकारियों (तलाथियों)/राजस्व लिपिकों को पहले ही निलंबित कर दिया गया है तथा 36 ग्राम राजस्व अधिकारियों (तलाथियों), 17 ग्राम पंचायत अधिकारियों (ग्राम सेवकों) और 2 कृषि सहायकों के विरूद्ध विभागीय जांच शुरू की गई है।

*****